(वाद सं0.-676/4/13/2020)

27.07.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, शकुन्तला देवी की पुत्री रूबी कुमारी, को बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत बकाया व नियमित पेंशन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, जहानाबाद** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"वर्तमान में श्रीमति शकुन्तला देवी के आवेदन के आलोक में श्रीमती रूबी कुमारी के पेंशन राशि का भुगतान नियमानुसार इ0–लाभार्थी पोर्टल पर राज्य स्तर से डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में राशि का निरंतर हस्तान्तरण किया जा रहा है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, जहानाबाद** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, जहानाबाद** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक